



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/73/2019-20

06 दिसंबर, 2019

सेवा में

श्री रवीन्द्र नाथ गुप्त
अवर सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मंत्रीमंडल विभाग बिहार सरकार,
पुराना सचिवालय, पटना (बिहार)।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होसीयार सिंह, प्रस क्वार्टर नं. 2, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब नजदीक संसद भवन, नई दिल्ली का पत्र इस सचिवालय में 29.11.2019 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे का (बीपीएल) प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को पूर्व प्रेषित अपने पत्रों, जिन्हें इस सचिवालय द्वारा श्रीयुत मुख्य सचिव, बिहार सरकार को प्रेषित कर दिया था, पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। चूंकि इनके पत्र की विषय-वस्तु बिहार सरकार से संबंधित है अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्तक्षारी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होसीयार सिंह, प्रेस क्वार्टर नं. 2, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब नजदीक संसद भवन, नई दिल्ली - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPED POST
19/12/19

सेवामें, सूचना अधिकारी जी;

R.T.I 17211073

उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली दिनांक-29.11.2019

विषय-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

(1) उपराष्ट्रपति सचिवालय सचिवालय, फर्स्ट फ्लोर, वीपीएस 009/08/2019(P)

दिनांक 9 अक्टूबर 2019 की दायी प्रति

(11) सुप्रीम कोर्ट के 1 प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न की दायी प्रति जजमेन्ट का बापा प्रति सँलगान

महोदय, सेवामें आज हमें विवेक यह है कि आपके सचिवालय से भी अनेको पत्राचार हुआ है। आज तक कोई कार्रवाई हुई है। इस संबंध में अनेको रूपमा का हो चला किया है। केन्द्र सरकार के अनेको मंत्रालय पत्राचार भी विहार में हुआ है। सेम के सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का आदेशों के बाद विभाग पत्राचार भी विभाजन है। विहार विधान मंडल में पारित आदेश का भी कार्य नहीं हुआ है। विधान परिषद प्रश्न के बावजूद भी विहार लोक शिकायत निवारण में 500 प्रचारों के समेत से आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः न्यायलय से जाना पड़ेगा कि अभी तक विहार सरकार भारत सरकार अनेको मंत्रालय के आदेश विहार सरकार द्वारा कारनामों साबूत न्यायलय पेस किया जाएगा। अभी तक इस केन्द्र सरकार और विहार सरकार तथा जिला प्रशासन पर चर्चा किया है। राष्ट्रपति महात्मा गाँधी कर्मक्षेत्र जिला के भेदाचार के अनेको प्रकार अज्ञान कर श्रमागर्भ केन्द्र सरकार एवं विहार 20 वर्षों पत्राचार साबूत के तहत सीपी जाय केन्द्र सरकार करावा जाती है।

बापा प्रति सँलगान

- (1) उपराष्ट्रपति सचिवालय का फा
- (11) सुप्रीम कोर्ट की अजमेन्ट की दायी प्रति
- (11) B.P.L. कार्ड की दायी प्रति

श्रीमान का विवासी

अभिमान प्रसाद

40 श्री होसीपार सिट

प्रेस क्वार्टर नं० 2

गुरुद्वारा रक्षा गंज साहिब

नीप्ट-संसद भवन, राष्ट्रपति भवन

मो० 7835813545

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 09/08/2019 (P)

09 अगस्त, 2019

श्रीयुत सचिव,
गृह मामलों के मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होशियार सिंह, प्रेस क्वार्टर नं० 2, गुरुद्वारा रकाबगंज सहिब, नियर संसद भवन, नई दिल्ली का दिनांक पत्र इस सचिवालय में 30.07.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने सी०बी०आई० द्वारा जाँच कराये जाने के संबंध में उल्लेख किया है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण/कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होशियार सिंह, प्रेस क्वार्टर नं० 2, गुरुद्वारा रकाबगंज सहिब, नियर संसद भवन, नई दिल्ली।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत सचिव, गृह मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

JS(UT)
3.8.18
-K'OX No. 1601667

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 09/08/2019 (P)

09 अगस्त, 2019

श्रीयुत सचिव,
गृह मामलों के मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होशियार सिंह, प्रेस क्वार्टर नं0 2, गुरुद्वारा रकाबगंज सहिब, नियर संसद भवन, नई दिल्ली का दिनांक पत्र इस सचिवालय में 30.07.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने सी0बी0आई0 द्वारा जाँच कराये जाने के संबंध में उल्लेख किया है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण/कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -

श्री अभिमन्यु प्रसाद द्वारा श्री होशियार सिंह, प्रेस क्वार्टर नं0 2, गुरुद्वारा रकाबगंज सहिब, नियर संसद भवन, नई दिल्ली।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत सचिव, गृह मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

55(UT)
3-8-18
-X-0X No. 1601667

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 10044 OF 2010

Certified to be true copy

Assistant Registrar (Judl.)

.....2014
SUPREME COURT OF INDIA

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER,
SUPREME COURT OF INDIA

..... APPELLANT(S)

832044

VERSUS

SUBHASH CHANDRA AGARWAL

..... RESPONDENT(S)

WITH

CIVIL APPEAL NO. 10045 OF 2010

AND

CIVIL APPEAL NO. 2683 OF 2010

JUDGMENT

SANJIV KHANNA, J.

This judgment would decide the afore-captioned appeals preferred by the Central Public Information Officer ('CPIO' for short), Supreme Court of India (appellant in Civil Appeal Nos. 10044 and 10045 of 2010), and Secretary General, Supreme Court of India (appellant in Civil Appeal No. 2683 of 2010), against the common respondent – Subhash Chandra Agarwal, and seeks

Signature valid
Digitally signed by
CHETAN KUMAR
Date: 2014.11.14
16:09:35 +05'30'
Reason:

the CPIO, Supreme Court of India to re-examine the matter after following the procedure under Section 11(1) of the RTI Act as the information relates to third parties. Before a final order is passed, the concerned third parties are required to be issued notice and heard as they are not a party before us. While deciding the question of disclosure on remit, the CPIO, Supreme Court of India would follow the observations made in the present judgment by keeping in view the objections raised, if any, by the third parties. We have refrained from making specific findings in the absence of third parties, who have rights under Section 11(1) and their views and opinions are unknown.

The reference and the appeals are accordingly disposed of.

.....^{SV}.....CJI
(RANJAN GOGOI)

.....^{SA}.....J.
(N.V. RAMANA)

.....^{SA}.....J.
(DR. D.Y. CHANDRACHUD)

.....^{SA}.....J.
(DEEPAK GUPTA)

.....^{SA}.....J.
(SANJIV KHANNA)

NEW DELHI;
NOVEMBER 13, 2019.

क्रमांक	पूरा नाम	उम्र	कार्डधारी से संबंध
1	सुनिता देवी	28	भ्रूययं
3	सदीप कुमार	12	पुत्र
4	रेणु कुमारी	8	पुत्री
5	रिखु कुमारी	6	पुत्री

रकार्ड की संख्या
कार्डधारी का हस्ताक्षर



नाल राशन कार्ड 707

19889198

पारिवारिक आइ० डी० 4516 कुल स्कोर 9

कार्डधारी का पूरा नाम सुनिता देवी
पिता / पति का नाम अभिमन्यु प्रसाद
पेशा मजदूरी

टोला का नाम बलीराम पुर

वाई संख्या 6
मकान संख्या 00

जनवितरण प्रणाली के दकानदार का नाम

सकिल नं० वाई नं०

राशन कार्ड निर्गत की तिथि

प्रा० आ० पदा० / राशरी प्र० आ० पदा०
प्रखंड विकास पदा० मुहर सहित
प्रा० आ० पदा० / राशरी प्र० आ० पदा०
मुहर सहित